निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 ज्येष्ठ 1936 (श0)

(सं0 पटना 483) पटना, मंगलवार, 3 जून 2014

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

अधिसूचना

1 मार्च 2014

सं0 2257—पटना जिलान्तर्गत सम्पतचक अंचल के ग्राम कंडाप स्थित महामाया भगवती स्थान पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या–3030 है।

इस न्यास के प्रबंधन एवं आय के दुरूपयोग के संबंध में स्थानीय जनता से आरोप पत्र प्राप्त होने पर इसकी आय–व्यय एवं न्यास समिति की गतिविधियों के बारे में दिनांक 03.05.2010 को जांच का आदेश दिया गया। इसके आलोक में पर्षद के विधि अभिकर्ता ने दिनांक 23.05.2010 को न्यास का स्थानीय निरीक्षण किया। जांच पदाधिकारी ने प्रतिवेदित किया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से एक भव्य एवं सुन्दर मन्दिर का निर्माण हुआ है जिसमें वर्तमान प्रबंधन का सहयोग नगण्य है। दान दाताओं का नाम शिलापट्ट पर अंकित है। कार्यरत न्यास समिति द्वारा इन्हें न्यास की आय–व्यय का लेखा पंजी उपलब्ध नहीं कराया गया। तत्पश्चात् पर्षदीय पत्रांक–945, दिनांक 02.09.2011 द्वारा न्यास समिति को अधिनियम की धारा–29 (2) के तहत कारण–पृच्छा की नोटिस दी गई। इसका जबाब श्री श्रवण कुमार सिंह एवं श्री हरिद्वार सिंह ने दिनांक 29.10.2011 को दाखिल किया, जिसमें कहा गया कि कन्डाप भगवती स्थान की स्थापना 1908 में स्व0 बाबू नुनु प्रसाद सिंह के द्वारा किया गया था और उन्होंने निबंधित समर्पणनामा में हरदेव नारायण सिंह, बजरंग प्रसाद सिंह तथा अनन्त प्रसाद सिंह को देखरेख का जिम्मा सौंप दिया था। उक्त समर्पणनामा में यह भी अंकित है कि भविष्य में कोई मेम्बर इन्तकाल कर जायेंगे तो उस हालत में जो वारसायन उनका कायम रहेंगे वही मुन्तजीमकार होंगे। अतः न्यास की व्यवस्था समर्पणनामा की शर्तो के अनुसार श्री हरिद्वार सिंह, श्रवण कुमार सिंह, जनार्दन सिंह एवं संतोष सिंह द्वारा की जा रही है। इसमें जन सहयोग से मन्दिर निर्माण की बात स्वीकार की गयी है, लेकिन कहा गया कि दिनांक 15.12.1993 को गठित समिति को भंगकर पुनः न्यासधारी नियुक्त किया गया था। किन्तु संचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक–2420, दिनांक 15.12.1993 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में एक सात सदस्यीय न्यास समिति गठित की गई थी। इस न्यास समिति का गठन प्रारम्भिक तीन प्रबंधकों के वंशज तक ही सीमित नहीं था बल्कि इसमें प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अध्यक्ष तथा अन्य वर्ग के लोगों को भी सदस्य बनाया गया था। इस न्यास समिति के गठन संबंधी आदेश को श्री श्रवण कुमार सिंह द्वारा जिला न्यायाधीश अथवा माननीय उच्च न्यायालय में कोई चुनौती नहीं दी गई, इसलिए यह आदेश कायम रहा। न्यास समिति की बैठकों की सूचना प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को कभी नहीं दी गई और श्री श्रवण कुमार सिंह, द्वारिका सिंह एवं शिवनाथ सिंह मनमाने ढंग से न्यास की व्यवस्था करते चले आ रहे हैं। कालान्तर में शिवनाथ सिंह का भी निधन हो गया।

इसके बाद पर्षदीय पत्रांक–1883, दिनांक 31.01.2012 द्वारा अंचलाधिकारी, सम्पतचक को न्यास के कार्यकलापों एवं गतिविधियों के बारे में प्रतिवेदन भेजने को कहा गया। अंचलाधिकारी का प्रतिवेदन पत्रांक–405, दिनांक 28.05.2012 द्वारा प्राप्त हुआ जिसमें उल्लेख किया गया कि इनके द्वारा लेखा–जोखा एवं व्यय से संबंधित पंजी की मांग की गई, परन्तु इन्हें कुछ भी उपलब्ध नहीं कराया गया। अंचलाधिकारी ने प्रतिवेदित किया ***''जांच से प्रतीत होता है कि आय का पूरा दुरूपयोग होता है।''*** जांच प्रतिवेदन के आलोक में पर्षदीय पत्रांक–491 दिनांक 20.06.2012 द्वारा श्री श्रवण कुमार सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया। श्री श्रवण कुमार द्वारा दिनांक 27.07.2012 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया जो भ्रामक, तथ्यों से परे तथा असंतोषप्रद था। तत्पश्चात् पर्षदीय पत्रांक–1213 दिनांक 14.09.2012 द्वारा श्री श्रवण कुमार सिंह को सूचित किया गया कि प्राप्त सूचनानुसार मन्दिर के नव निर्माण पर ग्रामीण एवं आस–पास के भक्तों ने मिलकर करीब 40 लाख रुपये खर्च किया है। इस प्रकार यह सार्वजनिक न्यास हो जाता है और उस स्थिति में इस धार्मिक न्यास का प्रबंधन तीन व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रह सकता। इस संबंध में दिनांक 29.09.2012 तक इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और समर्पणनामा की सच्ची प्रति भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। पुनः पर्षदीय पत्रांक–1693, दिनांक 22.12.2012 द्वारा इन्हें निर्देश दिया गया कि उनके द्वारा दाखिल समर्पणनामा की देवनागरी लिप्यान्तरण पठनीय नहीं है, अतः स्पष्ट पठनीय प्रतिलिपि कार्यालय में प्रस्तुत करें।

इसके बाद पर्षदीय पत्रांक–1982, दिनांक 26.02.2013 द्वारा श्री श्रवण कुमार सिंह, श्री हरिद्वार सिंह, द्वारिका सिंह– प्रथम पक्ष तथा अपर पक्ष से आरोप कर्त्ताओं को दिनांक 14.03.2013 को सुनवाई की नोटिस दी गयी। इस मामले की सुनवाई दिनांक 14.03.2013, 24.04.2013, 27.05.2013 एवं दिनांक 15.02.2014 को की गई। प्रथम पक्ष से श्री श्रवण कुमार सिंह वगैरह ने सुनवाई में समय–समय पर असहयोग किया।

सुनवाई के क्रम में श्री राम परीक्षण सिंह द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि इस न्यास में 18 बिघा जमीन समर्पित की गई थी, किन्तु करीब 10 ए0 26 डी0 जमीन का ही विवरण श्री हरिद्वार सिंह एवं श्री श्रवण कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। श्री राम परीक्षण सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जमीन उन्होंने अपने परिवार के नाम लिखवा लिया है। इस संबंध में उनका तर्क था कि अंचलाधिकारी से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त रिपोर्ट में 05 ए0 12 डी0 जमीन जमाबन्दी में दिखलाया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई साक्ष्य जमीन हस्तान्तरण के बारे में प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी ओर श्री श्रवण कुमार सिंह एवं हरिद्वार सिंह ने शपथ–पत्र पर कहा है कि उनके द्वारा इस न्यास की जमीन की बिक्री नहीं की गई है। उनके द्वारा जमीन की बिक्री के आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी।

ग्रामीणों की ओर से श्री संजय कुमार ने बहस के दौरान दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जिसके अनुसार मन्दिर निर्माण में 5000/– (पाँच हजार) रुपये से अधिक राशि देने वाले भक्तों के नाम मन्दिर में शिलापट्ट पर लिखा गया है। इसलिए बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा–28 (2) (प) के आलोक में इसे सार्वजनिक न्यास माना जाता है। श्री श्रवण कुमार सिंह एवं श्री हरिद्वार सिंह ने दिनांक 29.12.2012 के पत्र में इसे प्राइवेट होने का दावा किया था, किन्तु दिनांक 24.04.2013 को उन्होंने लिखा है कि **'' हमलोगों ने कभी इसे निजी मन्दिर नहीं माना है''** इसमें पूजा पाठ करने का अधिकार सब का है और पूजा–पाठ में कोई रोक टोक नहीं है। इस तरह यह मन्दिर निर्विवाद रूप से सार्वजनिक न्यास है।

सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों, कागजातों तथा संचिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि मन्दिर का नवनिर्माण ग्रामीण एवं भक्तों के सहयोग से हुआ है। इस न्यास में लगभग 18 बिघा उपजाऊ जमीन है, उसके आय–व्यय का कोई लेखा संधारण नहीं होता है और न अंकेक्षण कराया जाता है। इस न्यास का संचालन मनमाने ढंग से तीन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, न तो कभी बैठक बुलाई जाती है और न ही प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, जिन्हें न्यास समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, उन्हें इसकी गतिविधियों के बारे में कोई जानकारी दी जाती है।

श्री श्रवण कुमार सिंह एवं अन्य से पर्षदीय पत्रांक–571, दिनांक 27.06.2013 द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया था कि न्यास का सारा कार्य तीन व्यक्ति श्री श्रवण कुमार सिंह, श्री हरिद्वार सिंह तथा द्वारका सिंह तक ही सीमित है तथा आय का दुरूपयोग एवं दुर्विनियोग होता है और वार्षिक आय–व्यय का सही–सही ब्योरा पर्षद में प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अतः पत्र प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण दें कि इस समिति को भंग कर मन्दिर निर्माण समिति के सक्रिय सदस्यों की समिति क्यों नहीं बना दी जाय। श्री श्रवण कुमार सिंह द्वारा दिनांक–20.07.2013 को प्रस्तुत जबाब असंतोषप्रद एवं भ्रामक है। स्पष्टतया समर्पणनामा की आड़ में न्यास की आय का दुरूपयोग किया जा रहा है। इस भगवती स्थान को जमीन दान करने वाले दानदाता बाबू नुनु सिंह मौजा चरवाथार थाना–रोसड़ा, जिला– दरभंगा (वर्तमान समस्तीपुर) के रहने वाले थे। उनको कोई संतान नहीं था इसलिए अपनी आत्मा की शांति के लिए इन्होंने मौजा मीठूचक जिला पटना में स्थित अपनी सम्पत्ति भगवती महामाया स्थापित मौजा कंडाप को वास्ते भोग–राग वो पूजा–पाठ वो खर्च समाय तेबहार'' के लिए अर्पित कर दिया। इस समर्पणनामा में बाबू हरखदेव सिंह, बाबू बजरंग सिंह एवं बाबू आनन्द सिंह को मुन्तजिम (प्रबंधक) नियुक्त करते हुए यह निर्देश दिया गया कि ''देयानतदारी वो इमानदारी के इन्तजाम किया करेंगे।'' इसमें आगे कहा गया है ''हासिल पैदावार दानवाली भूमि से इधर–उधर अथवा अपने वास्ते खर्च नहीं करेंगे।''

इस प्रकार इस धार्मिक न्यास के इतिहास के दो पहलु हैं। पहला यह है कि कंडाप ग्राम में एक चबुतरा पर भगवती का पिंड स्थापित था और सुदुर रोसड़ा थाना के निवासी बाबू नुनु सिंह ने जमीन दान में भगवती को समर्पित किया था। इसके प्रबंध के लिए उन्होंने तीन व्यक्तियों को अधिकृत किया था। इसका दूसरा पहलु है कि वर्ष 2000 से 2009 तक ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक करीब चालिस लाख रुपये चन्दा एकत्र कर एक भव्य मन्दिर का निर्माण किया है।

पाँच हजार से अधिक चन्दा देने वालों का नाम मन्दिर के शिलापट्ट पर अंकित है। कुछ लोगों ने एक लाख से भी अधिक दान दिया है। इसलिए इस धार्मिक न्यास के दोनों पहलुओं को देखते हुए पर्षद द्वारा गठित न्यास समिति में जो तीन सदस्य जीवित है एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, फुलवारी के स्थान पर अंचलाधिकारी, सम्पतचक की सदस्यता मान्य रखा जाता है। यद्यपि तीन सदस्यों के विरूद्ध वित्तीय अनियमितता के आरोप लगे हैं, किन्तु इन आरोपों को दुर्विनियोग की सीमा तक सिद्ध करने में आरोपकर्त्ता सफल नहीं हुए हैं। श्री श्रवण कुमार सिंह का कहना है कि जो आय होती है, वह पूजा–पाठ पर व्यय होता है। इनके विरूद्ध जमीन बिक्री का जो आरोप लगा है, उसका भी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में आरोपकर्त्ता विफल रहें हैं। इसलिए इन सदस्यों को अपसारित नहीं किया जा रहा है, किन्तु मन्दिर के नव–निर्माण में जिन लोगों ने काफी सहयोग किया है, उनलोगों को भी इस न्यास समिति में रखा जा रहा है। ये सदस्य अभी वे 5 लोग होंगे जिन्होंने सबसे अधिक आर्थिक सहयोग किया है और वर्त्तमान में मन्दिर से जुड़े हुए हैं। किन्तु यदि इनके विरूद्ध कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होंगे तो ये सदस्य नहीं रहेंगे। इस प्रकार अंचलाधिकारी के साथ 9 सदस्य बनते है। एक सदस्य के रूप में अनुसूचित जाति से श्री शिव मंगल पासवान को नियुक्त किया जाता है।

दाता द्वारा समर्पित भूमि का पता लगाकर उसे न्यास में वापसी के लिए तीन महीने के अन्दर धार्मिक न्यास न्यायाधिकरण में वाद दायर किया जायेगा अन्यथा ऐसा अनुमान किया जायेगा कि न्यास समिति के अधिसंख्यक सदस्य जमीन वापसी में रूची नहीं ले रहे हैं। तीन महीने में पहल नहीं करने पर कोई दो सदस्य पर्षद से अनुमति प्राप्त कर न्यायाधिकरण में न्यास समिति के व्यय पर जमीन वापसी के लिए वाद दायर करेंगे।

उपरोक्त परिस्थितियों में न्यास सम्पत्तियों की सुरक्षा, सुव्यवस्था तथा विकास के लिए अधिनियम की धारा–32 के तहत योजना का निरूपण एवं नई न्यास समिति का गठन आवश्यक है, जिसमें वर्त्तमान तीन सदस्यों के अतिरिक्त मन्दिर निर्माण समिति के सक्रिय सदस्यों को सम्मिलित कर इसे व्यापक आधार प्रदान किया जा सके।

अतः बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा–32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो धार्मिक न्यास की उपविधि सं0–43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए महामाया भगवती स्थान कंडाप के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा एवं सुव्यवस्था तथा सम्यक् विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्तरूप देने एवं संचालन के लिए एक न्यास समिति का गठन किया जाता है।

योजना

1. अधिनियम की धारा– 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ***"महामाया भगवती स्थान न्यास, योजना"*** होगा तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए गठित न्यास समिति का नाम ***"महामाया भगवती स्थान न्यास समिति"*** होगा ।

2. इसकी समस्त चल–अचल सम्पत्ति तथा आय के प्रबंधन, संचालन एवं प्रशासन का अधिकार ***"महामाया भगवती स्थान न्यास समिति"*** में निहित होगा ।

3. इस न्यास समिति का प्रमुख दायित्व मंदिर में परंपरागत पूजा–अर्चना, राग–भोग, उत्सव–समैया आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक् प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।

4. मंदिर परिसर में भेंट पात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की समस्त नगदी राशि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति के दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर पंजी में प्रविष्टि के बाद बैंक खाता में जमा की जायेगी ।

5. मन्दिर में प्राप्त होने वाले सभी चन्दा, चढ़ावा, उपहारों के लिए दाताओं को उचित पावती रसीद दी जायेगी और उन्हें सत्यापित पंजी में प्रविष्टि कर उसे प्रदर्श के रूप में रखा जायेगा।

6. मन्दिर परिसर में होने वाले संस्कार के लिए निर्धारित राशि ही ली जायेगी, जिसका सम्यक् लेखा संधारण किया जायेगा।

7. न्यास समिति न्यास के आय–व्यय में शुचिता एवं पारदर्शिता रखेगी।

8. मन्दिर में आने वाले आस्थावान भक्तों में किसी प्रकार का भेद–भाव नहीं किया जायेगा। महिला दर्शनार्थियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जायेगा। दुर्गापूजा एवं अन्य विशेष अवसरों पर भक्तों की सुविधा एवं सुरक्षा का विशेष ख्याल रखा जायेगा।

9. न्यास की समग्र आय किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जायेगी और उसका संचालन समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के हस्ताक्षर से होगा।

10. न्यास समिति मन्दिर परिसर को अतिक्रमणमुक्त एवं किसी का निजी कब्जा न हो, यह सुनिश्चित करेगी।

11. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप–विधि में वर्णित सभी नियमों का पालन करते हुए वार्षिक आय–व्यय विवरणी, बजट, अंकेक्षण प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि सम्यक रूप से पर्षद को प्रेषित करेगी ।

12. जिन नियमों का उल्लेख इस योजना में नहीं है, और न्यास हित में आवश्यक समझा जा रहा हो, तो न्यास समिति विशेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के अनुमोदन के बाद इसे लागू करेगी।

13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक बलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करेंगे। सचिव समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्तरूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष लेखा का सम्यक् संधारण करने के लिए जिम्मेवार होंगे।

14. न्यास–समिति की बैठक सामान्यतः मन्दिर परिसर में होगी। यह बैठक प्रत्येक तिमाही में कम–से–कम एक बार अवश्य होगी।

15. इस योजना में परिवर्त्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन का अधिकार पर्षद में निहित रहेगा ।

16. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभान्वित होते हुए पाये जायेंगे या आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे तो सदस्य बने रहने की उनकी अर्हता समाप्त हो जायेगी।

उपर्युक्त योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति गठित की जाती है :–

(1) अंचलाधिकारी, सम्पतचक, पटना – अध्यक्ष
(2) श्री श्रवण कुमार सिंह, ग्राम +पो0– कण्डाप, थाना–गौरीचक, जिला– पटना – उपाध्यक्ष
(3) श्री स्वामी विवेकानन्द सिंह, मानपुर, दिघवारा, वर्त्तमान पता–फ्लैट संख्या–108, जगदेवन प्लाजा, लोहियानगर, कंकरबाग जिला– पटना – सचिव
(4) श्री उमेश सिंह, ग्राम–कंडाप, थाना–गौरीचक, जिला– पटना – सदस्य
(5) श्री कन्हाई सिंह, ग्राम–कंडाप, थाना–गौरीचक, जिला– पटना – सदस्य
(6) श्री कैलाश सिंह, ग्राम–कंडाप, थाना–गौरीचक, जिला– पटना – सदस्य
(7) श्री मुकेश कुमार सिंह, ईन्जीनियर, पिता–श्री शम्भु सिंह, ग्राम–कंडाप – सदस्य
(8) हरिद्वार सिंह, ग्राम–कंडाप, थाना–गौरीचक, जिला– पटना – सदस्य
(9) श्री द्वारका सिंह, ग्राम–शिवचक, थाना–नावघाट, जिला– पटना – सदस्य
(10) श्री शिव मंगल पासवान, ग्राम–कंडाप, थाना–गौरीचक, जिला– पटना – सदस्य।

यह योजना दिनांक 05.03..2014 से प्रभावी होगी और गटित न्यास समिति का कार्यकाल 05 वर्षों का होगा। एक वर्ष के बाद न्यास समिति के कार्यो की समीक्षा की जायेगी और संतोषजनक पाये जाने पर इसकी निरन्तरता कायम रहेगी।

आदेश से,
किशोर कुणाल,
अध्यक्ष ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) **483**-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in